



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-06/2023
दिनांक : 16.01.2023

कार्यालयादेश

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न अवसरों/पर्वों पर विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है—

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	अध्यक्ष
2. कुलानुशासक	सदस्य
3. मुख्य छात्रावास अधीक्षक	सदस्य
4. अध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग	सदस्य
5. अध्यक्ष, जनसंचार विभाग	सदस्य
6. अध्यक्ष, हिंदी साहित्य विभाग	सदस्य
7. डॉ. प्रियंका मिश्रा	संयोजक

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
16/01/23

प्रति (ई-मेल द्वारा) : उपर्युक्त संबंधित सभी।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. प्रतिकूलपति (द्वय) कार्यालय
3. वित्ताधिकारी कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिसर विकास)
5. सहायक कुलसचिव (क्रय एवं भंडार विभाग)
6. सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशासन विभाग)
7. सहायक कुलसचिव (प्रवेश प्रकोष्ठ एवं परीक्षा विभाग)
8. जनसंपर्क अधिकारी
9. लीला
10. विश्वविद्यालय की वेबसाइट
11. संबंधित पत्रावली